

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

# उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 ई0 श्रावण 20, 1945 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 265/XXXVI (3)/2023/33(1)/2023 देहरादून, 11 अगस्त, 2023

अधिसूचना

### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने 'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023' प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्याः 05, वर्ष— 2023 के रूप में सर्व—साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

# उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 05, वर्ष 2023)

(भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए—

### अध्यादेश

चूँकि, राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्म	अध्यादेश, 2023 है । (2) इस अध्यादेश में अन्यथा जपबंधित के विकास कर कि
धारा 10 का संशोधन	2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चा मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,— (क) उपधारा 2 में, खण्ड (घ) में, शब्द "माल राग" कियोगन कि
घारा 16 का संशोधन	(ख) उपधारा (२क) में, खण्ड (ग) में, शब्द "माल या" विलोपित किये जाएंगे मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (२) में,— (क) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्निलखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिय जायेगा, अर्थात्:— "परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसी पूर्तियों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का, उसके द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 50 के अन्तर्गत देय ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा:";

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संविदालय उत्तराखण्ड

मूल अधिनियम की धारा 17 में, -धारा १७ का (क) उपधारा 3 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण संशोधन प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः-"स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "छूट-प्राप्त पूर्ति का मूल्य" पद में अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय,-(i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का (ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संदर्भ में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों, जैसा कि विहित किया जाए, का मूल्य।"; (ख) उपधारा 5 में, खण्ड (च) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात:-"(चक) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसके कर्त्तव्यों से संबंधित कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त किये जाने या प्रयुक्त किये जाने के प्रयोजन के लिए कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवा या दोनों:"। मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा 23 उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी और दिनांक 01 जुलाई, 2017 से संशोधन प्रतिस्थापित की गयी समझी जाएगी, अर्थात:--(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, व्यक्तियों के वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।"। मुल अधिनियम की धारा 30 में,-घारा 30 का (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी संशोधन जाएगी, अर्थात:-'(1) ऐसी शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वंय के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, ऐसे अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए, ऐसी शिति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जो कि विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा।"; (ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा।

> प्रमाणित पति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवाल्य उत्तरखण्ड

4	उत्तराख	अपाधारण गजट, 11 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 20, 1945 शक सम्वत्)
	का 7	7. "मूल अधिनियम" की धारा 37 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित
संशोधन		्राच्या जातात्वाचरा कर दा त्वाधमा अभा <del>न</del> ः
		"(5) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के
		अधीन बाह्रय पूर्ति के ब्यौरे, उक्त ब्यौरे दाखिल करने की देय तारीख से तीन
1		वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगाः
		परन्त सरकार प्रकार के किन्निक करना अनुमन्य नहीं होगाः
		परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और
		प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी
		रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर अवधि के
		ार्ग जनवारा (1) के अधान बाहरा पति के क्रोंके क्रस्त क्रीय कर्म
1 .		न्य पर पाराख से तान वर्ष की उक्त अवधि की समाति के प्रकार की
धारा ३९ व	= -	निरायक करना अनेबन्द्र कर सक्या।
संशोधन	म 8.	मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (10) के पश्चात निम्नलिखित
रासावन		जनवारा अत्तरस्थापत कर द। जीएमा अद्योत
		"(11) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए विवरणी,
		जिया विवरणा दाखिल करने की देय तारीख के तीन वर्ष की कार्या के
		पश्चात, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगा:
1		परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसनाना तथा और केरी
		जिस प्रातबन्धा के अधान, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए कि
		राजस्ट्राकृत व्यक्ति या राजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर असी र
	1.	ारार विवरणा, विवरणा दाखिल करने की देग तिक्रि से बीच वर्ष की
		उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी, दाखिल करना अनुमन्य कर
		Adull .
धारा ४४ का	9.	मूल अधिनियम की धारा 44 को उपधारा (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया
संशोधन		जाएगा और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित
		उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-
		"(2) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (1)
		के अधीन वार्षिक विवरणी, उक्त वार्षिक विवरणी दाखिल करने की देय
*		तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, दाखिल करना अनुमन्य नहीं
		होगां :
		परन्त सरकार परिषद की विपानिकों पर अर्थ
	1.	परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जैसा कि नामें किया
	-	और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी
E		रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के
	-	अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी, उक्त वार्षिक विवरणी
	1	दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के
		मश्चात् भी, दाखिल करना अनुमन्य कर सकेगी।"
76		



उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 20, 1945 शक सम्वत्) मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (14) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:--संशोधन "(15) प्रचालक को उपधारा (4) के अधीन विवरण, उक्त विवरण दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगा : परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी प्रचालक या प्रचालाकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीनविवरण, उक्त विवरण दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, दाखिल करना अनुमन्य कर सकेगी।" मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित का 11. धारा 54 उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्ः संशोधन "(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उचित अधिकारी, इस निमित, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न, रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के शून्य दर पूर्ति होने के आधार पर प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गयी रकम के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शतों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा और तत्पश्चात आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक सत्यापन के पश्चात् उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय के अंतिम निपटान के लिए आदेश करेगा।" मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्दों " यदि किसी आवेदक को धारा 54 की धारा 56 का 12. उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और संशोधन उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनिधक ऐसी दर पर धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा" के स्थान पर शब्द "यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनिधक ऐसी दर पर ब्याज ऐसे प्रतिदाय के संबंध में संदेय होगा,जैसा कि ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से उक्त कर के प्रतिदाय की तारीख तक 60 दिन से अधिक की विलम्ब की अवधि के लिए,ऐसी रीति



6	उत्तराख	वण्ड असाधारण गजट, 11 अगस्त, 2023 ई० (श्रावण 20, 1945 शक सम्वत्)
		आर एसा शतो और प्रतिबन्धों के अधीन जैसा कि विकिन की नाम न
		किया जा सकता है" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे।
CULT OR		21.5
धारा 62	का 1	3. मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (2) में, —
संशोधन		(क) शब्दों "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जाएंगे;
1		(ख) निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
	ĺ	"परन्तु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश के
		तामील के साद दिनों के भीनर कैन कि
		तामील के साठ दिनों के भीतर वैध विवरणी दाखिल करने में असफल रहता
		है, वह उक्त विवरणी साठ दिनों की अग्रेत्तर अवधि के भीतर उक्त निर्धारण
	1	आदेश की तामील के साठ दिनों के पश्चात् विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए
		एक सौ रूपये के अतिरिक्तविलम्ब शुल्क के भुगतान पर दाखिल कर सकता
		हि और यदि ऐसा विस्तारित अवधि के भीतर वह वैध विवरणी टाविक करना
		ह ता उक्त निधारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किन्त
		धारा 50 का उपधारा (1) के अधीन ब्याज के भगतान गा धारा 47 के अधीन
		विलम्ब शुल्क के भुगतान की देयता बनी रहेगी।"
घारा 109 व	ग 14.	मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित
संशोधन		कर दी जाएगी, अर्थात:-
अपील	-	"109 इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा
अधिकरण		कर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस
और उसक	1	अधिनियम के अधीन अधिन महिन्द्रिय कर अधिकरण, इस
पीठों क	T .	अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित
गठन		आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवायी करने के लिए अपील अधिकरण होगा।"
घारा 110 का	T 15.	the control of the co
विलोपन	1 15.	"मूल अधिनियम" की धारा 110 विलोपित कर दी जाएगी।
घारा 114 का	16.	"मूल अधिनियम" की धारा 114 विलोपित कर दी जाएगी।
विलोपन		and the state of t
धारा 117 का	17.	"मूल अधिनियम" की धारा 117 में, —
संशोधन		(क) उपधारा (1) में, शब्दों "राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों"
		के स्थान पर शहर "अपीन अधिकारण की क्षत्रीय पीठी"
		के स्थान पर शब्द "अपील अधिकरण की राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे;
		(ख) उपधारा (5) में खण्ड (क) और (ख) में, शब्दों "राज्य पीठ या क्षेत्रीय
धारा 118 का	10	पीठ" के स्थान पर शब्द "राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे;
संशोधन	1 1	"मूल अधिनियम" की धारा 118 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्दों
त्राथ्य		"राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों" के स्थान पर शब्द
		"अपील अधिकरण की प्रधान पीठ" रख दिये जाएंगे।
धारा 119 का	19.	"मूल अधिनियम" की धारा 119 में, —
संशोधन		(क) शब्दों "राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों" के स्थान पर शब्द "प्रधान पीठ" रख
		ं राजा राजा (ख



	Γ	दिये जाएंगे;
•		(ख)शब्दों "राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर शब्द राज्य पीठ" रख
		दिये जाएंगे।
धारा 122 का	20.	मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात निम्नलिखित
संशोधन		उपघारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-
		"(1ख) कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो-
		(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसी पूर्ति करने के
		लिए, रजिस्ट्रेशन से छूट प्राप्त व्यक्ति को छोड़कर, अपने माध्यम से
		किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल और सेवाओं या दोनों की पूर्ति
		अनुमन्य करता है ;
		(ii) अपने माध्यम से किसी व्यक्ति, जो ऐसी अन्तरप्रान्तीय पूर्ति करने
		के लिए अर्ह नहीं है, द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अन्तरप्रान्तीय
		पूर्ति अनुमन्य करता है; या
		(iii) इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रेशन की प्राप्ति से छूट प्राप्त
		व्यक्ति द्वारा अपने माध्यम से की गयी माल की बाह्य पूर्ति का सही
		ब्यौरा धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन दाखिल विवरण में प्रस्तुत
		करने में असफल रहता है,
		दस हजार रूपये, या यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गयी
		होती, धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को छोड़कर,
		अंतर्निहित कर की रकम के बराबरराशि, जो भी अधिक है, के अर्थदण्ड का
		भुगतान करने का दायी होगा।"
	21.	मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में,—
संशोधन	.	(क)खण्ड (छ), (স) और (ट) विलोपित किये जाते हैं;
		(ख) खण्ड (ठ) में शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (क) से खंड (ट)" के
		स्थान पर शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (क) से (च) और खण्ड (ज) और
	I	(झ)" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे;
		(ग) खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया
		जाएगा, अर्थात्:-
*		"(iii) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अपराध के मामले में, जहां कर अपवंचन की
4		रकम या गलत रूप से लिये गये या प्रयुक्त किये गये इनपुट कर प्रत्यय की
		रकम या गलत लिए गये प्रतिदाय की रकम एक सौ लाख रूपये से अधिक
		किन्तु दौ सौ लाख रूपये से अनधिक है, तो ऐसे करावास से जो एक वर्ष
-		तक हो सकेगा और जुर्माने से; ";
		(घ) खण्ड (iv) में शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च) या खंड (छ) या
		17 - 2 (1) 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11



उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 20, 1945 शक सम्वत्) खंड (ज)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च)" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे। मूल अधिनियम की धारा 138 में.-धारा १३८ का 22. संशोधन (क) उपधारा (1) में, पहले परन्तुक में, -(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात:-"(क) कोई व्यक्ति जो, धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के संबंध में, एक बार प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था ;"; (ii) खण्ड (ख) विलोपित कर दिया जाएगा: (iii) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात:--"(ग) कोई व्यक्ति जो, धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध कारित करने का अभियुक्त है:": (iv) खण्ड (ङ) विलोपित कर दिया जाएगा: (ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी. अर्थात:-"(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम, न्यूनतम रकम अंतर्निहित कर के पच्चीस प्रतिशत से कम और अधिकतम रकम अंतर्निहित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाए।" नयी मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित धारा 23. 158क कर दी जाएगी, अर्थात:-का **158क. (1)** धारा 133, 152 तथा 158 में किसी बात के होते हुए भी, अंतःस्थापन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल निम्नलिखित विवरण, उपधारा (2) के कराधेय प्रावधानों के अधीन रहते हुए तथा परिषद की सिफारिशों पर, कॉमन पोर्टल व्यक्ति द्वारा, ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा प्रस्तुत सूचना ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए, के का सहमति साथ साझा किया जाएगा, अर्थात :-आधारित (क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल आवेदन या धारा 39 साझाकरण या धारा 44 के अधीन दाखिल विवरणी में दाखिल ब्यौरा: (ख) बीजक तैयार करने के लिए कॉमन पोर्टल पर अपलोड किये गए ब्योरे, धारा 37 के अधीन दाखिल बाह्य पूर्ति का विवरण तथा धारा 68 के अधीन दस्तावेज सुजित करने के लिए कॉमन पोर्टल पर अपलोड किये गए ब्यौरे;

प्रमाणित पति रोक सूचना अधिकारी निधान सभा स्टिब्स्

प्रमाणित प्रति

ले.ज. गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से.नि.) राज्यपाल उत्तराखण्ड।

आज्ञा से, शहन्शाह मुहम्मद दिलंबर दानिश, सचिव।

## No. 265/XXXVI(3)/2023/33(1)/2023 Dated Dehradun, August 11, 2023

#### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Goods and Sevices Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (Uttarakhand Ordinance No.05 of 2023).

As promulgated by the Governor on 09th August, 2023.

# THE UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

(Uttarakhand Ordinance No. 05 of 2023)

(Promulgated by the Governor in the Seventy-Fourth year of the Republic of India)

#### AN

#### ORDINANCE

further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017)-

Whereas the State Legislative Assembly is not in Session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and Commencement.	1.	(1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023.  (2) Save as otherwise provided in this Ordinance, it shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
Amendment of section 10 त पति	2.	In the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 10, —  (a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be omitted;  (b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be omitted.

उत्तराखण्ड अर	in the continue (2) -
mendment of ection 16	3. In section 16 of the Principal Act, in sub-section (2),— (a) For the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— "Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be paid by him along with interest payable under section 50, in such manner
	as may be prescribed:"; (b)in the third proviso, for the words "made by him", the words "made by him to the supplier" shall be substituted.
Amendment of	4. In section 17 of the Principal Act, —
section 17	<ul> <li>(a) in sub-section (3), for the Explanation, the following Explanationshall be substituted, namely:— "For the purposes of this sub-section, the expression "value of exempt supply" shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except,—  (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and  (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";</li> <li>(b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:— "(fa) goods or services or both received by a taxable person which are used or intended to be used for activities relating to</li> </ul>
w	his obligations under corporate social responsibility referred to
Amendment of section 23	in section 135 of the Companies Act, 2013;".  5. In section 23 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July 2017, namely:—  "(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.".
Amendment of section 30	6. In section 30 of the Principal Act,— (a) For sub section (1), the following sub section shall be substituted, namely:—  yellola yel

लोक सूबना अधिकारी विधान सभा सांचेवालय उत्तरसम्बद्ध

12 सत्तराख	
12 वत्राख	ण्ड असाघारण गजट, 11 अगस्त, 2023 ई० (श्रावण 20, 1945 शक सम्वत्)
	"(1) Subject to such conditions as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.";
	(b)the proviso shall be omitted.
Amendment of	7. In section 37 of the Principal Act, after sub-section (4), the
section 37	following sub-section shall be inserted, namely:-
3 ×	"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:
	Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and
	restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even
1 - E B	after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."
Amendment of	8. In section 39 of the Principal Act, after sub-section (10), the
ection 39	following sub-section shall be inserted, namely:
	"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:  Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."
mendment of	9. Section 44 of the Principal Act shall be renumbered as sub-
ection 44	section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:— "(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of
माणित पति ीक सूचना अधिकार धान सभा संदेवालय उत्तराखण्ड	furnishing the said annual return:  Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

Amendment of	10. In section 52 of the Principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—
ection 52	following sub-section shall not be allowed to furnish a statement "(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement
	"(15) The operator shall not be allowed to lumish a statement of three years
<b>⊱</b>	1 - 1 - A offer the CXDHV OL & Police of
	from the due date of rumishing the said sections and Provided that the Government may, on the recommendations and
ž	
	class of operators to rurnish a statement discovery class of operators discovery class of oper
	offer the expiry of the said period of the
1 1 5	
Amendment of	
section 54	
F1 80 4	
	by registered persons, outer than such edges, by registered persons, outer than such edges, by registered persons as may be notified by the Government on the persons as may be notified by the Government on the
	persons as may be notified by the consistence on a provisional
	persons as may be notified by refund on a provisional recommendations of the Council, refund on a provisional
3.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	under sub-section (3) for intal sections of documents furnished by the
	applicant.".  12. In section 56 of the Principal Act, for the words "If any tax
Amendment of	12. In section 56 of the Principal Act, for the ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to
section 56	any applicant is not refunded within sixty days from the date
Section	any applicant is not returned within sixty days rection.
	any applicant is not retunded within section (1) of that section,  of receipt of application under sub-section (1) of that section,
	interest at such rate not exceeding six per cent. as may be
8	is a time motification issued by the dovernment of the
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
a	c 1 Com the date immediately allei the capity of state
	a descript of annication unucline said suc
	and the date of refund of such tax: the words in any
	to be refunded under sun-section (3) of section 5
	1 and retunded William Sixty ugys nom an
	date of receipt of application under sub- section (1) of that
	date of receipt of application tiltues sur occurs (2)
1.4	section, interest at such rate not exceeding six per cent. as may
	ical in the notification issued by the dovernment of
1	a delices of the council shall be payable -
- 1	c to refund for the period of delay beyond state
0.9	a com the date of receipt of Siich application in the date of
	c 1 web tory to be committed in Such manner and subject t
	such conditions and restrictions as may be prescribed:" sha
	such conditions and restrictions as may be
1	be substituted.



14	उत्तराखण्ड	असाधारण	Toda		07			2			79		
	उत्तराखण्ड	-141-114-1	4010,	77	अगस्त,	2023	₹0	(প্সাবण	20.	1945	भाक	ਗੁਸ਼ਤਤ)	

Amendment of	F 11	3. In section 62 of the Principal Action 1945 शक सम्वत्)
section 62	.   -	3. In section 62 of the Principal Act, in sub-section (2),— (a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted:
		substituted; unity days, the words "sixty days" shall be
Amendment of section 109 Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof	14.	(b) the following proviso shall be inserted, namely:— "Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."  For section 109 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:— "109. Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate
beaches thereof		Authority or the Revisional Authority under this Act."
Omission of section 110	15.	
Omission of section 114	16.	Section 114 of the Principal Act, shall be omitted.
Amendment of	17.	In section 117 of the Principal Act, —
section 117	·	(a) in sub-section (1), for the words "State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal", the words "State Bench of the Apellate Tribunal" shall be substituted; (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Bench" shall be substituted.
Amendment of section 118	18.	In section 118 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "National Bench or Regional Bench of the Appellate Tribunal", the words "Principal Bench of the Appellate Tribunal" shall be substituted.
Amendment of		In section 119 of the Principal Act,—

प्रमाणित प्रति


लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 अगस्त, 2023 ई० (श्रावण 20, 1945 शक सम्वत्)

ection 119	"Principal Bench" shall be substituted;
	(b) for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Bench" shall be substituted.
Amendment of section 122	In section 122 of the Principal Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely:— "(1B) Any electronic commerce operator who—  (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;  (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or  (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."
Amendment of section 132	21. In section 132 of the Principal Act, in sub-section (1),— (a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted; (b) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted; (c) For clause (iii), the following clause shall be substituted namely:— "(iii) in the case of an offence specified in clause (b), where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;"; (d) in clause (iv), for the words, brackets and letters "clause (f) or clause (g) or clause (j)" the words, brackets and letters "clause (f)" shall be substituted.
Amendment of section 138	22. In section 138 of the Principal Act,—  (a) in sub-section (1), in the first proviso,—  (i) for clause (a), the following clause shall be substituted





namely:-"(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;"; (ii) clause (b) shall be omitted; (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-"(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;"; (iv) clause (e) shall be omitted; (b) For sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-"(2) The amount for compounding of offences under this section shall be such as may be prescribed, subject to the minimum amount not being less than twenty-five percent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved.". Insertion of new After section 158 of the Principal Act, the following section 23. section 158A shall be inserted, namely :---"158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections Consent based 133, 152 and 158, the following details furnished by a sharing of registered person may, subject to the provisions of sub-section information (2), and on the recommendations of the Council, be shared by furnished by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such taxable person conditions as may be prescribed, namely:-(a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44: (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68: (c) such other details as may be prescribed. (2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of-(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and



(b) the recipient, in respect of details furnished under

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 अगस्त, 2023 ई० (श्रावण 20, 1945 शक सम्वत्)

		clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub- section (1) only where such details include identity information of the recipient, in such form and manner as may be prescribed.
		(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.".
Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule III to the Uttarakhand	24.	<ol> <li>In Schedule III to the Principal Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of Act No. 31 of 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.</li> <li>No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.</li> </ol>
Goods and Services Tax Act	·	

LT. GEN. GURMIT SINGH, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.), GOVERNOR UTTARAKHAND.

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH, Secretary.

